

अभियंता प्रमुख का कार्यालय,

ग्रामीण कार्य विभाग,

बिहार, पटना

पत्रांक:-14/अ0प्र0-03-69/2022

2250

/पटना, दिनांक 24/3/22

प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-01

विषय:-

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-01 के तहत नई अनुरक्षण नीति-2018 (एम0आर0) के अन्तर्गत Baghi mukh path to Balra Ismile Via Rajputana Tola का आवंटित कार्य का एकरारनामा के अनुसार अवशेष कार्य करने एवं बकाया राशि का भुगतान करने की अनुमति देने के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक 238 अनु0 दिनांक 15.02.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुशंसा के आलोक में कहना है कि संबंधित मामले में नई अनुरक्षण नीति 2018 (एम0आर0) के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-01 एवं संवेदक स्व0 प्रमोद कुमार के मध्यस्थ Model Bidding Document (MBD) के आधार पर किये गये एकरारनामा में संवेदक के आकस्मिक मृत्यु होने के उपरान्त शेष कार्यो को पूर्ण कराये जाने के संबंध में कोई भी समुचित कंडिका का उल्लेख नहीं है। फलतः इसके समतुल्य अभिलेख यथा Standard Bidding Document (SBD) For PMGSY/MMGSY (NDB-BRICS) के संदर्भित Clause 55.2 एवं राज्य के सभी विभागों में लागू Standard Bidding Document (SBD) के संदर्भित Clause 36 एवं 37 के आधार पर विषयांकित मामले में संवेदक स्व0 प्रमोद कुमार कि असामयिक मृत्यु दिनांक 10.05.2021 को हो जाने के उपरान्त अवशेष निर्माण कार्य को मूल एकरारनामा में उद्धृत दर, मात्रा एवं शर्तों के आलोक में उनके एक मात्र वैध उत्तराधिकारी-सह-पत्नी श्रीमती पूनम देवी द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में निबंधन कराये जाने के पश्चात् Supplementary Agreement कर नियमानुसार के अनुसार अवशेष कार्य करने एवं बकाया राशि का भुगतान कराने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश पर सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-03-69/2022

2250

/पटना, दिनांक 24/3/22

प्रतिलिपि: मुख्य अभियंता-03, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/ नोडल पदाधिकारी, एम0आर0(3054)/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर/ आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख